14-08-2026

आवेदक द्वारा श्री यशवंत चतुर्वेदी अधिवक्ता।

अनावेदक अनाहुत।

श्रीमती रूपल गुप्ता जे.एम.एफ.सी. नीमच के न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त। अवलोकन उपरान्त वापस भेजा गया।

प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है।

आवेदक का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक के विरूद्ध आबकारी वृत्त मनासा ने अपराध क. 470/2024 को म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क व 34(2) का असत्य रूप से पंजीबद्ध किया था। उक्त प्रकरण आर.सी.टी. 721/2023 पर पंजीबद्ध होकर श्रीमती रूपल गुप्ता साहब के यहां लंबित होकर विचाराधीन है। जिस समय अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था उस समय मनासा न्यायालय में आबकारी अधिनियम के प्रकरण सुनवाई हेतु किन्हीं भी न्यायाधीश को विचारण की शक्तियां प्रदाय नहीं की गयी थी इस कारण अंतिम प्रतिवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। वर्तमान में उक्त प्रकरण विचारण हेतु मनासा न्यायालय में आबकारी अधिनियम के विचारणों की न्यायालय द्वारा की गयी कार्य विभाजन की कार्यवाही में मनासा न्यायालय को मनासा तहसील के आबकारी वृत्त मनासा के प्रकरण की सुनवाई की शक्तियां प्रदान की गयी है इस कारण उक्त प्रकरण विधि अनुसार मनासा न्यायालय में क्षेत्राधिकार की दृष्टि से अंतरित किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 410 दं0प्र0सं0/450 भा.ना.सु.सं. तथा उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रूपल गुप्ता के न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में **जप्तशुदा माल के संबंध में माल पर्चा प्रकरण में संलग्न नहीं है। संबंधित थाना आबकारी वृत्त मनासा ने जप्तशुदा माल उनके थाने के मालखाने में होना बताया गया है।** अतः धारा 410 दं.प्र.सं./धारा 450 भा.ना.सु.सं. की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **श्रीमती रूपल गुप्ता जे.एम.एफ.सी. नीमच के** न्यायालय में लंबित प्रकरण को अतः प्रशासनिक एवं सुविधा की दृष्टि से प्रकरण क. **RCT –721/2023 श्रीमती रूपल गुप्ता जे.एम.एफ.सी. नीमच** के न्यायालय से विधिवत् सुनवाई एवं विचारण हेतु न्यायालय **श्री भूपेन्द्र आर्य जे.एम.एफ.सी. मनासा जिला नीमच** के न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 410 दं0प्र0सं0/450 भा.ना.सु.सं.**स्वीकार** किया जाकर आदेशित किया जाता है।

प्रकरण अंतरण की सूचना न्यायालय **श्रीमती रूपल गुप्ता** जे. एम. एफ. सी. नीमच की ओर अविलंब प्रेषित की जावे।

सुविधा की दृष्टि से एवं कार्य विभाजन को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण क्र. **RCT –721/2023 को श्री भूपेन्द्र आर्य जे.एम.एफ.सी. मनासा जिला नीमच** के न्यायालय को प्रेषित किया जाता है। इस हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे।

पत्रावली नियत अवधि में परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजी जावे।

सही/–
रवि कुमार बौरासी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच
जिला नीमच म0प्र0

RAVI KUMAR BAURASI

Digitally signed by RAVI KUMAR BAURASI
Date: 2026.08.14 16:02:59 +0530